झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा।

नामांकन सूचना

SCVT के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा में निदेशालय के पत्रांक 251 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटि के द्वारा निदेशालय के पत्रांक 1395 दिनांक 06.11.2018 के निदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018–19 एवं 2018–20 में खाली बचे सीटों पर नामांकन हेतु अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवार से अनुसूची–"क" के अनुसार हस्तलिखित / टंकित आवेदन पत्र 30 नवम्बर 2018 संध्या 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं :–

1. शैक्षणिक योग्यता :–प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है–

(क) वेल्डर एवं वायरमैन व्यवसाय के लिए आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
(ख) शेष व्यवसाय के लिए माध्यमिक / 10वाँ /समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर।
(ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन कमिटि के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रीक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जाएगा।

2. आयु आहर्ताः
(क) 01 जुलाई 2018 को न्युनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
(ख)सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम 45 वर्ष।
आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही वैद्य होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि वैद्य होगी।

3. शारीरिक योग्यताः
प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

4. कॉशनमनीः
प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/–(पचास रूपये)मात्र कौशनमनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या जान बुझकर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कॉशनमनी से काट ली जाएगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कॉशनमनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी कोष में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5. छात्रवृत्ति :
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ावर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।

6. आरक्षण आहर्त्ता :
(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886/ राँची, दिनांक 21.09.11 के अनुसार रहेगा। (ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा। (ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है, अर्थात कुलसीट = स्वीकृत सीट +स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।
(घ) प्रत्येक व्यवसाय में एक–एक सीट क्रमशः दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित है।
(ड़) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

7. व्यवसायों की विवरणीः

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों की विवरणीः–												
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि (वर्ष में)	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीटों का विभाजन					सुपरन्यूमरी सीट			कुल सीट
				Gen	ST	SC	BC1	BC2	PH	SMQ	Supernumary ST/SC	
				50%	43%	7%	0%	0%				
01.	फिटर	2 वर्ष	16	3	2	1	0	0	1	1	3	11
02.	वायरमैन	2 वर्ष	16	4	3	1	0	0	1	1	3	13
03.	वेल्डर	1वर्ष	12	4	5	1	0	0	1	1	2	14
	कुल											38

नोट :–चयन के समय अनुदेशकों की उपलब्धता के आधार पर व्यवसाय/सीटों में बदलाब किया जा सकता है।

8. आवासीय आहर्त्ता : इस संस्थान में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं, जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थनीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक 02.06.2016 (संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थनीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी, (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. जाति आधारित आहर्ता : नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी, (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साइज का फोटोग्राफ देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष / जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दुसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाणपत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

11. आवेदक अपना आवेदन पत्र में अपनी योग्यता/अंकपत्र/जाति/उम्र/आवासीय से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर हाथों–हाथ जमा करें या साधारण डाक से प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा, पो. –गोतरा, पीनकोड– 835235 के पते पर भेजेंगे।
नोटः– अंतिम तिथि (30.11.2018) के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अन्य आवश्यक शर्ते/महत्वपूर्ण सूचनाएं एव विहितप्र पत्र www.simdega.nic.in एवं संस्थान के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। संलग्न फार्म दिये गये वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
सिमडेगा।

अनुसूची "क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :–...

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज फोटा `चिपकायें।

2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):–...

   (हिन्दी में) :– ....

3. (क) पिता का नाम :–..

   (ख) अभिभावक का नामः–..

4. पिता /अभिभावक का पेशाः–...
5. उम्मीदवार का पूरा पताः–
   (क) स्थायी पता (पीन कोड सहित):–...

   ....

   (ख) पत्राचार का पता (पीन कोड सहित):–...

   (ग) मोबाइल नम्बर :– ....

6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :–...

7. जन्मतिथि (प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):–...

8. दिनांक 01 जुलाई 2018 को आयु :–..

9. शैक्षणिक योग्यता :– कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें।

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय /महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1.									
2.									
3.									
4.									

नोट :–आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं?...

11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं?...

12. क्या उम्मीदवार विकलांग है?..

13. पिता / अभिभवक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग–अलग संख्या :– ....

14. अनुलग्नक की विवरणी :– 1) .... 2) .... 3) ....

    4) .... 5) .... 6) ....

मैं .... पिता का नाम .... प्रमाणित करता /करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा सही भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर

नोटः—(1) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ावर्ग / पिछड़ावर्ग / भूतपूर्वसैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचलपदाधिकारी / जिला उपायुक्त / जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के आर्थो—पेडिक्स के विभागाध्यक्ष / जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।